रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 14, 1986/चैत्र 24, 1908
No. 136] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 14, 1986/CHAITRA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1986

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 193 (अ)/सं. नि. (नि.) आ., 1977/ए एम (317):—आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्:—

1. यह आदेश निर्यात (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1986 कहा जाएगा।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में, अनुसूची-3 खुला सामान्य लाइसेंस-3 में, कालम सं. 4 के अन्तर्गत क्रम स 5 के सामने दी गई शर्त हटा दी जाएगी।

[फाइल स 1(10)/86/ई-1]

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

पाद टिप्पणी : मुख्य आदेश अर्थात् निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 भारत के असाधारण राजपत्र 1977 के भाग-2, खंड-3, उप-खंड (2) में पृष्ठ 1271 पर अधिसूचना सा. आ.सं 254 (ई) दिनाक 24 मार्च, 77 द्वारा प्रकाशित किया गया और समय-समय पर संशोधित किया गया।

अंतिम संशोधन भाग-2, खंड-3, उप-खंड (2) में स नि. (नि.) आ., 1977 ए एम (316) दिनाक 1-4-86 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 14th April, 1986

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 193(E)|No. E(C)O, 1977|AM(317).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Second Amendment Order, 1986.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Schedule III, in OGL-3, the condition appearing against serial number 5, under column number 4, shall be omitted.

[File No. 1(10)|86|E-I]

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

Footnote :—Principal order i.e. Exports (Control) Order, 1977 Published vide Notification S.O. No. 254(E) dated 24-3-77; published in Gazette of India 1977 extraordinary Part-II section 3, sub-section (ii) Page 1271, as amended from time to time.

The last Amendment made vide E(C)O, 1977 AM (316) dated 1-4-86 in Part-II, section 3 sub-section (ii).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986